



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 303 राँची, बुधवार,

10 जून, 2026 (ई०)

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

संकल्प

5 जून, 2026

विषय:-दुमका हवाई अड्डा, दुमका से **Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN)** के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त हवाई अड्डा पर **Cost Recovery Basis** पर **Aviation Meteorological Services** उपलब्ध कराने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (**Indian Meteorological Department-IMD**), भारत सरकार के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-435--राष्ट्रीय विमानन नीति, 2016 के अंतर्गत भारत सरकार की Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) योजना को झारखण्ड में लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक-31.08.2016 को नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत दुमका हवाई अड्डा से राँची, कोलकाता तथा पटना के लिये नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने हेतु नागर

विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही RCS-UDAN योजना के तहत लगभग 28.14 करोड़ की लागत से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दुमका हवाई अड्डा के उन्नयन (Upgradation) का कार्य कराया गया है, जिसमें टर्मिनल भवन, कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन, आइसोलेशन-बे, पेरीमीटर रोड इत्यादि का निर्माण तथा रनवे का उन्नयन एवं अन्य सुसज्जीकरण कार्य शामिल हैं। दुमका हवाई अड्डा का स्वामित्व राज्य सरकार के पास होने के कारण उक्त हवाई अड्डा से वाणिज्यिक उड़ानों के लिए नागर विमानन प्रभाग, झारखण्ड द्वारा DGCA, भारत सरकार से एयरोड्रोम लाइसेंस प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डा पर एयर ट्रेफिक कंट्रोल से संबंधित सेवाएँ यथा-CNS/ATM (Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management) सेवाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ Aviation Meteorological Services की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही होगी।

2. दुमका हवाई अड्डा, दुमका से Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त हवाई अड्डा पर Cost Recovery Basis पर Aviation Meteorological Services उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के तहत शिथिल करते हुए एमनोनयन के आधार पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारत सरकार के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
3. दुमका हवाई अड्डा पर Aviation Meteorological Services उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के पास तकनीकी रूप से दक्ष मानव बल/संसाधन उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारत सरकार से दुमका हवाई अड्डा पर आवश्यक मानव बल एवं उपकरण उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत गठित लोक उपक्रम, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारत सरकार द्वारा हवाई अड्डों पर उक्त सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु Central Aviation Meteorological Division (CAMD), भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानक एकरारनामा प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। इस एकरारनामा की मुख्य शर्तों का उल्लेख संकल्प की कंडिका-4, 5 एवं 6 में किया गया है।
4. प्रस्तावित एकरारनामा के अनुसार दुमका हवाई अड्डा में Aviation Meteorological Services सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार द्वारा मौसम संबंधी उपकरणों की खरीद, स्थापना संचालन, रख-रखाव तथा विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए ICAO/DGCA के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
5. राज्य सरकार (Airport Operator) एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार का दायित्व निम्न प्रकार होगा:-

क. Airport Operator अर्थात् राज्य सरकार का उत्तरदायित्व :-

- i. Airport Operator, IMD के विनिर्देशों और आवश्यकता के अनुसार अपने खर्च पर Aviation Meteorological Instruments (AMIs) के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति और Signal Cable प्रदान करेगा और बिछाएगा। Airport Operator इन बिजली और Signal Cables के बाद के रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- ii. दुमका हवाई अड्डा पर Aeronautical Meteorological Station (AMS) को रखने के लिए बुनियादी कार्यालय स्थान प्रदान करना। इसके अलावा, IMD की आवश्यकता के

अनुसार Main and Standby Power supply, Air-conditioning आदि सहित Civil, Electrical & Electronic infrastructure भी Airport Operator द्वारा प्रदान किया जाएगा। IMD को संचालन/ परिचालन इकाई और/या प्रशासनिक कार्यालय के लिए आवश्यक Office space and other infrastructures की व्यवस्था Airport Operator द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

- iii. Aviation Meteorological Services इकाई एवं उपकरणों के स्थापना के पश्चात उसके Civil, Electrical & Electronic उपकरणों के Maintenance के प्रति उत्तरदायी होगा।
- iv. हवाई अड्डा में IMD के उपकरणों एवं उनके द्वारा तैनात कर्मियों के operational unit/कार्यालय में विद्युत एवं जलापूर्ति की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी।
- v. IMD के सभी अधिष्ठापन के देख-रेख एवं संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- vi. परिचालन संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए आवश्यक संचार सुविधाएं जैसे STD/FAX सुविधा के साथ टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले कम्प्यूटर, Data Circuit आदि निःशुल्क उपलब्ध कराएगा तथा इन सुविधाओं के लिए Call Charge, किराया और अन्य शुल्क वहन करेगा।
- vii. हवाई अड्डे के सभी परिचालन घंटों के दौरान IMD द्वारा अपेक्षित चालक सहित एक सहायक वाहन उपलब्ध कराएगा। चालक सहित सहायक वाहनों के रख-रखाव और परिचालन लागत का वहन Airport Operator द्वारा किया जाएगा।
- viii. संचालन और प्रशासनिक कार्यालय में Aviation Meteorological Services (AMS) के कर्तव्य अवधि के दौरान एक सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा।
- ix. IMD के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को लाइसेंस शुल्क के आधार पर उनके पात्रता के अनुसार आवास उपलब्ध कराएगा। पात्रता विवरण IMD द्वारा हवाई अड्डा संचालक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा लाइसेंस शुल्क भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगा।
- x. IMD के कर्मियों को प्रदान किए गए कार्यालय और आवास के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा।
- xi. IMD के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को उनके आवंटित आवासीय परिसर से कार्यस्थल/कार्यालय आने-जाने हेतु परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगा।
- xii. मौसम संबंधी उपकरणों की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)/DGCA से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करेगा तथा मौसम संबंधी उपकरणों के लिए WPC से Frequency Clearance भी प्राप्त करेगा एवं मौसम संबंधी उपकरणों के लिए WPC को आवश्यक स्पेक्ट्रम शुल्क/लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करेगा।
- xiii. IMD कर्मियों को हवाई अड्डा परिसर में अपने कार्य करने के लिए अप्रतिबंधित पहुंच (Unrestricted Access) प्रदान की जाएगी।
- xiv. सभी सामान्य स्टेशनरी/स्टोर आइटम जैसे- फाइल कवर, फोल्डर, फोटोकॉपी पेपर इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।
- xv. Airport Operator द्वारा IMD कर्मचारियों को अपने कर्मचारियों के समान कैंटीन, पेयजल सुविधाएं और आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा।

- xvi. IMD द्वारा पूर्व से सूचना दिए जाने पर आधिकारिक कार्य/निरीक्षण/ रख-रखाव के लिए हवाई अड्डा पर आने वाले IMD कर्मियों को Guest House की सुविधा प्रदान करेगा।
- xvii. IMD की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य सरकार किसी अन्य एजेंसी/संगठन को मौसम संबंधी कोई अवलोकन, पूर्वानुमान, चेतावनी, रडार या उपग्रह डेटा सीधे नहीं देगा।
- xviii. Housing Tower Met के लिए Airport Operator द्वारा Control Tower में लगभग 03 मीटर X 02 मीटर का स्थान प्रदान किया जाएगा, जिसमें खुले आसमान से अवलोकन करने और वर्तमान मौसम अवलोकनों की रिपोर्ट करने के लिए फुल लॉजिस्टिक सहायता और 360 डिग्री दृश्य के साथ बैठने की व्यवस्था हो।

ख. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार का दायित्व:-

- i. मौसम संबंधी उपकरणों की खरीद, स्थापना, संचालन, रख-रखाव तथा विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए ICAO/DGCA के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
- ii. हवाई अड्डे पर विमानन मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक मानवबल की तैनाती करेगा।
- iii. हवाई अड्डे पर परिचालन गतिविधियों के सहयोग हेतु प्रशासनिक कार्यालय की व्यवस्था बनाए रखेगा।
- iv. IMD ऐसे सभी Aviation Code Book, Manual मौसम संबंधी Form, Chart, Stationary/Store इत्यादि उपलब्ध कराएगा, जो कि हवाई अड्डा पर विमानन मौसम संबंधी सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हैं।
- v. AMS, ATC Watch Tower के अनुसार काम करेगा। ATC इकाई को हर 30 मिनट के अंतराल पर वर्तमान मौसम अवलोकन प्रदान किया जाएगा। Pilot/Flight Dispatchers को IMD के Online Briefing System (OLBS) के जरिए मौसम संबंधी Briefing और Documentation दिया जाएगा।

6. वाणिज्यिक शर्तें:-

- i. IMD द्वारा हवाई अड्डा में तैनात कर्मियों को वेतन और अन्य भत्ते (IMD को अनुमान्य) की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा Satisfactory Documentation, Airport Operator को उपलब्ध कराने पश्चात Airport Operator द्वारा किया जाएगा। IMD को हवाई अड्डा मौसम संबंधी उपकरणों की खरीद, स्थापना और वार्षिक रख-रखाव शुल्क की कुल लागत की प्रतिपूर्ति भी Airport Operator करेगा। इसके अलावा, हवाई अड्डे पर विमानन मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मौसम संबंधी सहायता सेवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति Airport Operator द्वारा किया जाएगा।
- ii. IMD के कर्मियों को Airport Operator का कर्मी नहीं समझा जाएगा एवं उनकी नियुक्ति, तैनाती श्रम कानूनों आदि के लिए IMD पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा। किसी भी स्थिति में, IMD के कर्मियों को हवाई अड्डा संचालक के कर्मचारी नहीं माना जाएगा। IMD अकेले ही हवाई अड्डे पर तैनात अपने कर्मियों के लिए सभी रोजगार और श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

iii. Aviation Meteorological Services (AMS) में Aviation Meteorological Support Charges IMD को निम्न प्रकार देय होगा :-

SI No	Particulars	Charges	Remarks
1.	Fixed Charges (One Time)	Rs. 17,97,638 + GST @ 18% = Rs. 21,21,212.84 + 10% Variation = 23,33,334/- (Mentioned charge for the term of 2024-25)	Charges for SITC of DCWIS.
2.	Variable Charges (Every Year)	Rs. 19,529/- (Mentioned charge for the term of 2024-25)	Charges for TA & DA of No's class1 officer of IMD for 5 days + calibration charges for equipments.
3.	Supportive Charges (Every Year)	Rs. 46,71,751/- (Mentioned charge for the term of 2025-26)	Support charge with tentative inflation rate on the basis of yearly CPI Index. Invoice will be raised on the monthly basis.
4.	Annual Salary of Deputed staffs of IMD	Mentioned as remarks	As per Govt. of India norms and to be calculated on with watch hour basis at the time of operation of Airport.

- iv. IMD को उनके द्वारा प्रदत्त सेवा के बावत कंडिका-6(iii) में वर्णित तालिका में उल्लिखित राशि की प्रतिपूर्ति, IMD द्वारा प्रत्येक माह Supporting Documents, Airport Operator को उपलब्ध कराने के पश्चात की जाएगी। साथ ही इसमें अनुमान्य GST की राशि को प्रत्येक माह के 05 तारीख तक Airport Operator द्वारा GST Department को सीधे उपलब्ध कराया जाएगा।
- v. यह एकरारनामा संपादित होने की तिथि से अगले पांच वर्ष की अवधि तक के लिए यह एकरारनामा लिए मान्य होगा। समझौते (एकरारनामा) की अवधि समाप्त होने पर, लिखित रूप में पारस्परिक सहमति से नियम एवं शर्तों के आधार पर पुनः अगले 05 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।
- vi. इस एकरारनामा की समाप्ति से तीन (03) महीने पहले, आपसी सहमति से लिखित रूप में नवीनीकृत किया जा सकता है। एकरारनामा की समाप्ति पर IMD अपनी सेवाओं/कर्मचारियों को एयरपोर्ट से वापस ले लेगा और Airport Operator द्वारा प्रदान किए गए आवास व परिसर को खाली कर देगा। साथ ही IMD अपनी सभी उपकरणों और परिसंपत्तियों को अपने व्यय पर एयरपोर्ट से हटा देगा।
- vii. आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार एकरारनामा में संशोधन किया जा सकता है।
- viii. यदि कोई भी पक्ष (IMD/Airport Operator) किसी भी कारण से निर्दिष्ट तिथि से पहले इस एकरारनामा को वापस लेना/समाप्त करना चाहता है, तो इस हेतु एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीन (03) महीने पहले लिखित नोटिस दिया जाएगा, बशर्ते कि

दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा समाप्ति उस पक्ष को ऐसी समाप्ति से पहले अर्जित दायित्वों से मुक्त नहीं करेगी।

- ix. एकरारनामा की शर्तों और नियमों के निष्पादन से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में, ऐसे विवाद या मतभेदों को पक्षों के बीच बातचीत से आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा। समाधान न हो पाने की स्थिति में उन्हें एकरारनामा की तिथि को लागू Arbitration & Conciliation Act, 1996, के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थ की नियुक्ति दोनों पक्षों की आपसी सहमति से की जाएगी और मध्यस्थ द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान केवल नई दिल्ली होगा।

7. एकरारनामा का प्रारूप Annexure-"A" के रूप में संलग्न है।

8. उपरोक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक-289, दिनांक-17.04.2026 एवं संलग्न एकरारनामा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-27.05.2026 को संपन्न बैठक के मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

अनु.-एकरारनामा प्रारूप।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल),
अपर मुख्य सचिव
